भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3332

दिनांक 16/03/2021/25 फाल्गुन,1942 (शक) को उत्तर के लिए

**सरकारी अधिसूचनाओं का प्रकाशन**

**†3332. श्री ए. के. पी. चिनराजः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकारी अधिसूचनाएं, अधिनियमों आदि को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ख) सभी सरकारी अधिसूचनाओं, अधिनियमों को तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली भाषाओं में अधिसूचित नहीं किए जाने के क्या कारण है; और**

**(ग) गैर-हिंदी भाषा भाषी राज्यों में उक्त अधिसूचनाओं, अधिनियमों को समझने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है?**

उत्तर

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) : राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(i) के अनुसार हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं।

तदापि प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट (हिन्दी से भिन्न) किसी भाषा में राष्ट्रपति के प्राधिकार से राजपत्र में प्रकाशित किसी केन्द्रीय अधिनियम या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, या संविधान या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का, अनुवाद उस भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(ख): 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर यह तय हुआ कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, साथ ही यह भी तय हुआ कि अगले 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और बंगाली भाषा संघ की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई हैं।

(ग): भारत की जनगणना 2011 में भाषा और मातृभाषा के आंकड़ों के अनुसार, गैर-हिंदी राज्यों ('ग' क्षेत्र) में हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाली आबादी का विवरण अनुलग्नक पर है।

*****

**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**LOK SABHA**
**UNSTARRED QUESTION NO. 3332**

**TO BE ANSWERED ON THE 16TH MARCH, 2021/ PHALGUNA 25, 1942 (SAKA)**

**PUBLICATION OF GOVERNMENT NOTIFICATIONS**

**3332. SHRI A.K.P. CHINRAJ:**

**Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:**

**(a) whether the Government notifications, Acts etc. are published only in Hindi and English and if so, the details thereof;**

**(b) the reasons for not notifying all Government Notifications, Acts in Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia, Bengali; and**

**(c) the estimated number of people from Non-Hindi speaking States who would understand the said Notifications, Acts?**

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS**
**(SHRI NITYANAND RAI)**

**(a): As per Section 3(3)(i) of the Official Languages Act, 1963 both Hindi and the English languages shall be used for resolutions, general orders, rules, notifications, administrative or other reports or press communiqués issued or made by the Central Government or by a Ministry, Department or office thereof or by a corporation or company owned or controlled by the Central Government or by any office of such corporation or company.**

**However as per the provisions of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 a translation in any language (other than Hindi) specified**

<u>अनुलग्नक</u>

"सरकारी अधिसूचनाओं का प्रकाशन" के संबंध में दिनांक 16.03.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3332के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

| भारत की जनगणना 2011 के अनुसारगैर-हिंदी भाषा-भाषी राज्यों में हिंदीऔर अंग्रेजी बोलने वाली आबादी का विवरण | | | |
|---|---|---|---|
| क्र. | राज्य/संघ शासितप्रदेश | हिंदी बोलने वाली आबादी | अंग्रेजी बोलने वाली आबादी |
| 1 | जम्मू और कश्मीर | 2612631 | 967 |
| 2 | सिक्किम | 48586 | 112 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 98187 | 108 |
| 4 | नागालैंड | 62942 | 419 |
| 5 | मणिपुर | 31703 | 331 |
| 6 | मिज़ोरम | 10677 | 61 |
| 7 | त्रिपुरा | 77701 | 54 |
| 8 | मेघालय | 62905 | 311 |
| 9 | असम | 2101435 | 1287 |
| 10 | पश्चिम बंगाल | 6356059 | 14945 |
| 11 | ओडिशा | 1239037 | 2154 |
| 12 | आंध्रा प्रदेश | 3120413 | 13049 |
| 13 | कर्नाटक | 2013364 | 23227 |
| 14 | गोवा | 150017 | 9765 |
| 15 | लक्ष्यदीप | 160 | 1 |
| 16 | केरल | 51928 | 4471 |
| 17 | तमिल नाडु | 393380 | 24495 |
| 18 | पुडुचेरी | 6403 | 518 |
| | **कुल** | **18437528** | **96275** |

in the Eighth Schedule to the Constitution, published under the authority of the President in the Official Gazette of any Central Act or of any Ordinance promulgated by the President, or of any order, rule, regulation or bye-law issued under the Constitution or under any Central Act, shall be deemed to be the authoritative text thereof in such language.

(b): On enactment of Constitution of India on 26 January 1950, it was decided that the Official Language of the Union of India will be Hindi and its script Devanagari, it was also decided that the English language will also be used for the next 15 years along with Hindi. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Oriya and Bengali are included in the Eighth Schedule of the Union.

(c): As per Data on Language and Mother Tongue in Census 2011 of India, the details of Hindi and English Speaking population in Non-Hindi states (Region C) is at annexure.

******

**ANNEXURE**

**ANNEXURE IN REPLY TO LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 3332 FOR ANSWER ON 16.03.2021 REGARDING "PUBLICATION OF GOVERNMENT NOTIFICATIONS"**

**As per Census 2011 of India, the details of Hindi and English Speaking population in Non-Hindi states**

| Sr. | State/UT | Hindi Speaking Population | English Speaking Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Jammu and Kashmir | 2612631 | 967 |
| 2 | Sikkim | 48586 | 112 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 98187 | 108 |
| 4 | Nagaland | 62942 | 419 |
| 5 | Manipur | 31703 | 331 |
| 6 | Mizoram | 10677 | 61 |
| 7 | Tripura | 77701 | 54 |
| 8 | Meghalaya | 62905 | 311 |
| 9 | Assam | 2101435 | 1287 |
| 10 | West Bengal | 6356059 | 14945 |
| 11 | Odisha | 1239037 | 2154 |
| 12 | Andhra Pradesh | 3120413 | 13049 |
| 13 | Karnataka | 2013364 | 23227 |
| 14 | Goa | 150017 | 9765 |
| 15 | Lakshadweep | 160 | 1 |
| 16 | Kerala | 51928 | 4471 |
| 17 | Tamil Nadu | 393380 | 24495 |
| 18 | Puducherry | 6403 | 518 |
| | **Total** | **18437528** | **96275** |